तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गेहरीलाल /रामलाल 2014/00091	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.06.2018	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट व रेस्पोडेंट सं0 1 के अभिभाषक उपस्थित। अभि0 अपी0 ने संशोधित शीर्षक पेश किया, शामिल मिसल हो। तत्पश्चात अपील में उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस में कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाडा के न्यायालय मे इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम पोटला तहसील सहाडा के बैरून हल्के आबादी में राजस्व खाता संख्या 1277 में वर्णित आराजी सं0 6594 रकबा 0.29 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय व आराजी संख्या 6678 रकबा 0.90 हैक्टर किस्म नहरी 1 कुल किता 2 कुल रकबा 1.19 हैक्टर स्थित है जो प्रार्थी रामलाल के नाम खातेदारी हक से जमाबंदी में अंकित है। उपरोक्त आराजीयात में कोई पुख्ता सीमा चिन्ह जैसे पत्थर की कोट, मिट्टी की डोर व थोरों की बाड़ नहीं होने से उक्त आराजीयात की पूर्वी तरफ के पडौसी विपक्षीगण अवैध रूप से प्रवेश कर बहुत नुकसान पहुंचाते है तथा घास काट कर ले जाते है और मना करने पर विवाद जैसी स्थिति बनी रहती है इसलिए विवादित आराजी की विधिवत पत्थरगढ़ी कराये जाने की आवश्यकता हुई। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर द्वारा दिनांक 23.07.2013 को स्वीकार किये जाने के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपी0 ने जवाब प्रा0पत्र प्रस्तुत कर बताया कि अपी0 के पिता मियाचन्द के खातेदारी में साबिक आराजी सं0 3955/2 रकबा 18 बिस्वा भूमि दर्ज थी तथा अपी0 की साबिक आराजी सं0 3955/2 रकबा 18 बिस्वा के दक्षिण दिशा में रेस्पो0 सं0 1 रामलाल की साबिक आराजी सं0 3955/1 ख स्थित थी उसी अनुसार मौके पर अपी0 एवं रेस्पो0 सं0 1 काबिज चले आ रहे है तथा हाल आराजी सं0 6594 रकबा 0.29 है0 है। बन्दोबस्त के दौरान रेस्पो0 सं0 1 के नाम गलत दर्ज हो गई जबकि साबिक नक्शे के अनुसार अपी0 के नाम हाल आराजी सं0 6994 दर्ज होनी चाहिये। भू–प्रबन्ध के दौरान नक्शे में हाल आराजी सं0 6594 गलत दर्ज करके साबिक आराजी सं0 3955/1 ख से बनना बताया जबकि उक्त आराजी सं0 6494 रकबा 0.29 है0 है। रेस्पो सं0 1 ने दौराने बन्दोबस्त हाल आराजी सं0 6594 रकबा 0.29 है0 गलत नक्शे में दर्ज होने के कारण दुर्भावना से झूंठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। साबिक नक्शे में गलत नाम दर्ज होने के कारण अपी0 ने उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र धारा राज0 136 एल0आर0 एक्ट प्रस्तुत किया हुआ है, जो अभी भी विचाराधीन है। उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर द्वारा रेस्पो0 सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम दर्ज कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2, 3 लगायत 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए एवं प्रा0 पत्र धारा 136 एलआर एक्ट विचाराधीन रहते हुए अपने निर्णय दिनांक 23.07.2013 में प्रार्थना पत्र 111	

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	128 स्वीकार कर तहसीलदार, सहाडा को ग्राम पोटला तहसील सहाडा के बैरून हल्का आबादी के खाता सं0 1277 के आराजी नं0 6594 रकबा 0.29 है0, आराजी नं0 6678 रकबा 0.90 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.19 है0 में किसी भी प्रकार दखलअंदाजी नहीं करने हेतु शुल्क जमा कराने के आदेश प्रदान कर विधिवत पत्थरगढी कराये जाने के आदेश पारित कर दिये। उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर का निर्णय दिनांक 23.07.2013 निरस्त योग्य है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम अभी विचाराधीन है। अतः न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के निर्णय दिनांक 23.07. 2013 को निरस्त किया जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जावें कि उनके समक्ष विचाराधीन प्रकरण धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम के प्रा0पत्र का निस्तारण करें। रेस्पो0 अभि0 ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि वाके ग्राम पोटला तहसील सहाडा के बैरून हल्का आबादी के खाता संख्या 1277 के आराजी नं0 6594 रकबा 0.29 है0, आराजी नं0 6678 रकबा 0.90 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1. 19 है0 भूमि जमाबंदी संवत 2066 से 2069 के अनुसार रेस्पो0 सं0 1 के नाम रेकार्ड में दर्ज है। अपी0 एवं रेस्पो0 के मध्य आये दिन सीमा संबंधित विवाद उत्पन्न होते रहते है। जिसके चलते प्रार्थी/रेस्पो0 सं0 1 ने उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के न्यायालय में प्रा0पत्र 111, 128 एल0आर0 एक्ट प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विधिवत पत्थरगढी कराने के आदेश प्रदान किये है, जो विधिसम्मत है। अप्रार्थी/ अपीलांट का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का विचाराधीन होते हुए, धारा 111, 128 राज.भू– राजस्व अधिनियम की प्रोसिडिंग रोकी जावें क्योंकि प्रार्थी/ रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू–राजस्व अधिनियम के तहत् पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार रखता है। रिकार्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि पर पत्थरगढ़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.07.2013 विधि सम्मत हैं इसलिए प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावें। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्को के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अधि0न्याया0 ने प्रार्थी /रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के प्रा0पत्र 111, 128 एल0आर0 एक्ट को स्वीकार कर तहसीलदार, सहाडा को विधिवत पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किये है, जबकि उन्होनें अपने निर्णय के पैरा संख्या 06 में यह माना कि उनके समक्ष प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट विचाराधीन हैं। प्रकरण में जब न्यायालय के समक्ष प्रा0पत्र धारा 136 एल0आर0 एक्ट का पूर्व से विचाराधीन हैं तो हमारी	

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राय में सर्वप्रथम तो न्यायालय को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम को निस्तारण करना चाहिए क्योंकि धारा 136 प्रार्थना पत्र स्वीकार होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश प्रभावित होगें। अतः प्रकरण उक्त विवेचन के आधार पर अधि0न्याया0 को इस आशय से प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि वह सर्वप्रथम प्रा0पत्र धारा 136 एल0आर0 एक्ट का निस्तारण करें तत्पश्चात धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम का निस्तारण करें। **क्रियात्मक आदेश** अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 04/2014 (2014/00009) बउनवानी गेहरीलाल बनाम रामलाल व अन्य को आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के निर्णय दिनांक 23.07.2013, प्रकरण संख्या 86/2012 को निरस्त किया जाता हैं एवम् प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे सर्वप्रथम उनके समक्ष विचाराधीन प्रा0पत्र धारा 136 एलआर0एक्ट का उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तीन माह में निस्तारण करें एवं तत्पश्चात ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम को नियमानुसार निस्तारण करें। फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।	